



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार 26 मई, 2020

ज्येष्ठ 5, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 1032 ई-2/तेरह-2020-02-2002

लखनऊ, 26 मई, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-28

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 3042 ई-2/तेरह-332-53, दिनांक 4 सितम्बर, 1957 जो समय-समय पर संशोधित की गई है, द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (पुनर्आसवन) नियमावली को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश आबकारी (पुनर्आसवन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (पुनर्आसवन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम 2020 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश आबकारी (पुनर्आसवन) नियमावली, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 1-क नियम 1-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- का संशोधन

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

## नियम 1-क

## (1) पुनः आसवन में छीजन-

पॉट स्टिल में निर्मित निर्बल (कम शक्ति वाली) स्प्रिट के साधारण परिशोधन (रेक्टिफिकेशन) के अलावा पुनः आसवन निम्नानुसार आवश्यक हो सकता है-

(क) आसवकों की असावधानी या अदक्षता या बुरी तथा त्रुटिपूर्ण संग्रहण की अवस्थाओं, जिसके फलस्वरूप स्प्रिट का रंग उड़ गया हो, शक्ति गिर गयी हो या ऐसी अन्य त्रुटियाँ हो गयी हों, जिससे निर्मित स्प्रिट के निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप न होने के कारण।

(ख) भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिये आवश्यक फलों की मसालेदार स्प्रिट या साइलेन्ट (शान्त) स्प्रिट के निर्माण के उद्देश्य के लिये।

## स्तम्भ-2

## एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

## नियम 1-क

## (1) पुनः आसवन में छीजन-

पॉट स्टिल/पेटेन्ट स्टिलों में निर्मित निर्बल (कम शक्ति वाली) स्प्रिट के साधारण परिशोधन (रेक्टिफिकेशन) के अलावा, स्प्रिट का पुनः आसवन निम्नानुसार आवश्यक हो सकता है-

(क) आसवकों की असावधानी या अदक्षता या बुरी तथा त्रुटिपूर्ण संग्रहण की अवस्थाओं, जिसके फलस्वरूप स्प्रिट का रंग उड़ गया हो, शक्ति गिर गयी हो या ऐसी अन्य त्रुटियाँ हो गयी हों, जिससे निर्मित स्प्रिट के विहित विशिष्टियों के अनुरूप न होने के कारण,

(ख) फलों की मसालेदार स्प्रिट या साइलेन्ट (शान्त) स्प्रिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के निर्माण के प्रयोजन हेतु,

(ग) एनहाइड्रस अल्कोहल/एथनॉल के निर्माण हेतु,

(घ) पी.डी.-2/एफ.एल.-3 लाईसेन्सों पर उपलब्ध देशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी मदिरा, जिसमें बीयर सम्मिलित नहीं है, हेतु जो मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो या पेय प्रयोजनार्थ देशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी मदिरा के विहित विशिष्टियों के अनुरूप न हो, सम्बन्धित आसवनी में पुनर्आसवन की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उत्तर प्रदेश के अन्य आसवनी में पुनर्आसवन संपादित किया जा सकता है।

(ङ) किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देशी अथवा विदेशी मदिरा के किसी अवशेष स्टॉक का पुनर्आसवन आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से नियमावली के अनुसार किया जा सकता है।

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

उप नियम (क) तथा (ख) में उल्लिखित स्प्रिट्स के पुनः आसवन के लिये भेजी गयी स्प्रिट तथा अन्तिम रूप से आसवित स्प्रिट का युक्ति युक्त तथा सही लेखा आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखा जायेगा। आसवनी के निरीक्षक को ऐसे पुनः आसवन का समुचित नोटिस दिया जायेगा और उसके पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

**(2) अनुमन्य छीजन की सीमा-**

पुनः आसवन में वास्तविक छीजन की अनुमति निम्नानुसार दी जा सकती है :-

(क) उक्त उप नियम 1-क (1) के उपवाक्य (क) के अन्तर्गत छीजन के लिए, यदि

- (1) पेटेन्ट स्टिलों में अधिकतम 1.5 प्रतिशत तक
- (2) पॉट स्टिलों में अधिकतम 2.0 प्रतिशत तक

(ख) उक्त उप नियम 1-क (1) के उपवाक्य (ख) के अन्तर्गत छीजन के लिए, यदि

- (1) पेटेन्ट स्टिलों में अधिकतम 2.0 प्रतिशत तक
- (2) पॉट स्टिलों में अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक

(3) इस प्रकार के अतिशय छीजन पर निम्न दर से प्रतिफल शुल्क की वसूली की जायेगी-

(क) सादा स्प्रिट के निर्माण के लिए- उत्तर प्रदेश में देशी शराब पर आरोप्य प्रतिफल शुल्क की तत्समय प्रचलित दर पर

**स्तम्भ-2**

**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

उप नियम (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित स्प्रिट्स के पुनः आसवन के लिए पुनर्आसवन हेतु भेजी गयी स्प्रिट/मदिरा तथा अन्तिम रूप से आसवित स्प्रिट का समुचित तथा सही लेखा, आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। आसवनी के प्रभारी अधिकारी को ऐसे पुनः आसवन का समुचित नोटिस दिया जायेगा और उसके पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

**(2) अनुमन्य छीजन की सीमा-**

पुनः आसवन में वास्तविक छीजन की अनुमति निम्नानुसार दी जा सकती है :-

(क) उपरोक्त उप नियम 1-क (1) के खण्ड (क) के अधीन छीजन के लिए, यदि

- (1) पेटेन्ट स्टिलों में अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक,
- (2) पॉट स्टिलों में अधिकतम 1.0 प्रतिशत तक,

(ख) उपरोक्त उप नियम 1-क (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन छीजन के लिए, यदि

- (1) पेटेन्ट स्टिलों में अधिकतम 1.0 प्रतिशत तक,
- (2) पॉट स्टिलों में अधिकतम 1.5 प्रतिशत तक,

(ग) उपरोक्त उप नियम 1-क (1) के खण्ड (घ) एवं (ङ) के अधीन कोई छीजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) इस प्रकार के अतिशय छीजन पर निम्न दरों से प्रतिफल शुल्क प्रभारित किये जाने योग्य होगा :-

(क) सादा स्प्रिट के निर्माण के लिए-उत्तर प्रदेश में तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी स्ट्रेंथ में) पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की तत्समय प्रचलित दर पर,

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

(ख) मसालेदार स्प्रिट के निर्माण में— उत्तर प्रदेश में ऐसी स्प्रिट पर आरोप्य प्रतिफल शुल्क की तत्समय प्रचलित दर पर

(ग) परिशोधित स्प्रिट के निर्माण में— राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित श्रेणी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल शुल्क की दर से

(4) जब महीने के अन्त में अल्कोहलिक लीटर के टर्म्स में आगणित समस्त छीजन उप नियम (2) में विहित सीमा से अधिक नहीं है तब प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जब इस प्रकार आगणित छीजन अनुमन्य छीजन से अधिक है, तब प्रभारी अधिकारी को आसवक से लिखित स्पष्टीकरण लेना चाहिए और उसे अपनी टिप्पणी के साथ भारसाधक उप आबकारी आयुक्त को अग्रसारित कर देना चाहिये। उप आबकारी आयुक्त, उसकी समुचित जाँच करने के पश्चात् आवश्यक कागजों को अपनी संस्तुतियों के साथ आदेश हेतु आबकारी आयुक्त को भेजेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) मसालेदार स्प्रिट के निर्माण में— उत्तर प्रदेश में तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी स्ट्रेंथ में) पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की तत्समय प्रचलित दर पर,

(ग) परिशोधित स्प्रिट/ई.एन.ए./एनहाइड्रस अल्कोहल/एथनॉल के निर्माण हेतु—राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की मितव्ययी (इकोनॉमी) श्रेणी की प्रतिफल शुल्क की दर से,

(4) पुनर्आसवन के अन्त में अल्कोहलिक लीटर के टर्म्स में आगणित कुल छीजन उप नियम (2) में विहित सीमा से अधिक न हो तब प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु जब इस प्रकार आगणित छीजन, कुल छीजन से अधिक है, तब प्रभारी अधिकारी को आसवक से लिखित स्पष्टीकरण लेना होगा और उसे अपनी टिप्पणी के साथ भारसाधक उप आबकारी आयुक्त को अग्रसारित करना होगा। उप आबकारी आयुक्त, उसकी समुचित संवीक्षा करने के पश्चात् आवश्यक कागजों को अपनी संस्तुतियों के साथ आदेश हेतु आबकारी आयुक्त को भेजेगा।

आज्ञा से,  
संजय आर0 भूसरेड्डी,  
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1032 E-2/XIII-2020-02-2002, dated May 26, 2020:

No. 1032 E-2/XIII-2020-02-2002

Dated Lucknow, May 26, 2020

IN exercise of the powers under section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Re-distillation) Rules published vide notification no. 3042 E-2/XIII-332-53, dated September 4, 1957 as amended :-

THE UTTAR PRADESH EXCISE (RE-DISTILLATION) (SECOND AMENDMENT)  
RULES, 2020

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Re-distillation) (Second Amendment) Rules, 2020. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Excise (Re-distillation) Rules, for rule 1-A set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 1-A

COLUMN-1

*Existing rule*

**Rule 1-A**

**(1) Re-distillation wastages-**

Apart from simple rectification of weaker spirit produced in a pot still, re-distillation of spirit may become necessary as under:

(a) On account of the manufactured spirit not conforming to the prescribed specifications, due to the negligence and inefficiency of the distillers or bad and defective storage conditions, resulting in discolouration of spirit, fall in strength, or such other defects,

(b) For the purpose of manufacturing fruit spiced spirit or 'silent' spirit required for Indian Made Foreign Liquor,

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

**Rule 1-A**

**(1) Re-distillation wastages-**

Apart from simple rectification of weaker spirit produced in a pot still/**patent-still**, re-distillation of spirit may become necessary as under:

(a) On account of the manufactured spirit not conforming to the prescribed specifications, due to the negligence and inefficiency of the distillers or bad and defective storage conditions, resulting in discolouration of spirit, fall in strength, or such other defects,

(b) For the purpose of manufacturing fruit spiced spirit or 'silent' spirit/**Extra Neutral Alcohol**,

(c) For manufacture of anhydrous alcohol/ethanol,

(d) For Country liquor/Indian Made Foreign Liquor unfit for human consumption or and not conforming the prescribed specifications of Country liquor/IMFL for potable purposes, available in PD-2/FL-3 licenses excluding beer, re-distillation process shall be done in the distillery, but in special circumstances with prior approval of Excise Commissioner re-distillation can be done in other distillery of Uttar Pradesh,

(e) Any balance stock of country or foreign liquor at the end of a financial year, may be redistilled according to rules with previous approval of the Excise Commissioner.

COLUMN-1*Existing rule*

For distillation of spirits mentioned in sub-rules (a) and (b) proper and correct accounts of spirit sent for re-distillation and the finally distilled spirit shall be maintained by the officer in-charge of the distillery. Due notice of such re-distillation shall be given to the Distillery inspector and the operation carried out under his supervision.

**(2) Limit of wastage allowance-**

Actual wastage in re-distillation as given below may be allowed:

(a) For wastages under clause (a) of sub-rule(1) above, if :-

(i) in patent stills up to a maximum of 1.5 per cent.

(ii) in pot-stills up to a maximum of 2.0 per cent.

(b) For wastages under clause (b) of sub-rule (1) above, if

(i) in patent stills up to a maximum of 2.0 per cent.

(ii) in pot-stills up to a maximum of 2.5 per cent.

(3) The consideration fee on such excess wastages shall be liable to be charged at the following rates:-

**(a) For the manufacture of plain spirit-** At the rate of consideration fee leviable on country spirit in Uttar Pradesh at prevalent time.

**(b) For the manufacture of spiced spirit-** At the rate of consideration fee leviable on such spirit in Uttar Pradesh at prevalent time.

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

**For distillation of spirits mentioned in sub-rules (a), (b), (c), (d) and (e) proper and correct accounts of spirit/ liquor sent for re-distillation and the finally distilled spirit shall be maintained by the officer-in- charge of the distillery. Due notice of such re-distillation shall be given to the officer-in-charge of the distillery and the operation carried out under his supervision.**

**(2) Limit of wastage allowance-**

Actual wastage in re-distillation as given below may be allowed:

(a) For wastages under clause(a) of sub-rule 1- A(1) above, if:-

**(i) In patent stills up to a maximum of 0.5 per cent.**

**(ii) In pot-stills up to a maximum of 1.0 per cent.**

**(b) For wastages under clause (b) and (c) of sub-rule (1)A(1) above, if:-**

**(i) In patent-stills up to a maximum of 1.0 per cent.**

**(ii) In pot-stills up to a maximum of 1.5 per cent.**

**(c) Wastages under clause (d) and (e) of sub-rule 1-A (1) above, no wastage is allowed.**

(3) The consideration fee on such excess wastages shall be liable to be charged at the following rates:-

**(a) For the manufacture of plain spirit-At the rate of consideration fee leviable on the strong country liquor (in terms of 36 v/v strength) in Uttar Pradesh at prevalent time.**

**(b) For the manufacture of spiced spirit-At the rate of consideration fee leviable on the strong country liquor (in terms of 36%v/v strength) in Uttar Pradesh at prevalent time.**

COLUMN-1

*Existing rule*

**(c) For the manufacture of rectified spirit-** At the rate of consideration fee on Indian Made Foreign Liquor fixed by State Government from time to time.

**(4)** When the total wastage calculated in terms of Alcoholic litre at the end of the month does not exceed the prescribed limit of sub-rule (2), no action need to be taken by the officer-in-charge but when wastage exceeds the total wastage so calculated, the officer-in-charge must obtain a written explanation from the distiller and forward the same with his comments to the Deputy Excise Commissioner of the charge. The Deputy Excise Commissioner after proper scrutiny will send the necessary papers with his recommendations to the Excise Commissioner for orders.

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

**(c) For the manufacture of rectified spirit/ENA/Anhydrous alcohol/Ethanol-** At the rate of consideration fee of economy category of Indian Made Foreign Liquor fixed by the State Government from time to time.

**(4)** When the total wastage calculated in terms of alcoholic litre **at the end of re-distillation** does not exceed the prescribed limit of sub-rule (2), no action need to be taken by the officer-in-charge but when wastage exceeds the total wastage so calculated, the officer-in-charge must obtain a written explanation from the distiller and forward the same with his comments to the Deputy Excise Commissioner of the charge. The Deputy Excise Commissioner after proper scrutiny will send the necessary papers with his recommendations to the Excise Commissioner for orders.

By order,  
SANJAY R. BHOOSREDDY,  
*Pramukh Sachiv.*